



३०५।।

दृष्टिकोण— २२९६७०९

२२९६७१०

नव घेता केन्द्र, १० अशोक नगर, लखनऊ-२२८००१

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : २१९६ /०५/७६/एक/२०१५-१६
सेवा में,

दिनांक : २५ अगस्त २०१५

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-कानपुर नगर।

विषय : वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में सूडा द्वारा आपके जनपद (झुड़ा) को अत्यसंच्चिक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की घनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अत्यसंच्चिक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/८३) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है-

घनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	घनराशि
एच०१००१०४००१००१० बैंक	०२९८१००१३५७४६	IFSC Code HDFC00000298	१८०.८६३

(घनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अत्यसंच्चिक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वाड़ का नाम	प्रधम किशा की घनराशि का प्रेषण
१	कानपुर नगर	अत्यसंच्चिक-३७ बजट	न००१०१०१०१०१०१० कानपुर	म००० जूही परमपुराया में शान्ती देवी से संराज अहगढ होते हुये राजू पाल, पुत्तन हाजी गली, राम भवन यादव से आजाद हसन, भूरी देवी से श्याम लाल, सुलभ शीघ्रालय (सोने) के घर से आगे तक मेनरोड से गुड़दू तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	22.167
२	कानपुर नगर	मलिन वस्ती-८३ बजट	न००१०१०१०१०१० कानपुर	धर्मन्द्रनगर में राकेश गौतम से नारायण, सरस्वती शिशु मन्दिर गली कलावती से घनश्याम, बब्लू से लालमग होते हुये ओम प्रकाश तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	23.715
३	कानपुर नगर	मलिन वस्ती-८३ बजट	न००१०१०१०१०१० कानपुर	राम आरार नगर में पप्पू गिर्का से हरी पाल यिनोद के घर होते हुये नहर रोड के साइड में इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	23.848
४	कानपुर नगर	मलिन वस्ती-८३ बजट	न००१०१०१०१०१० कानपुर	राजय नगर में इन्द्रपाल गली, निरंजन से श्रीराम अवतार राजू राम नारायण, चन्द्रिका गली, पप्पू से राम भवन पाल, रामू पाल होते हुये मेहंदी छरान, वीरेन्द्र पाल और राम प्रराद यादव तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	32.381
५	कानपुर नगर	मलिन वस्ती-८३ बजट	न००१०१०१०१०१० कानपुर	महादेव नगर पाट-४ में कमलेश के मकान से बब्लू के मकान होते हुये मंगली के मकान तक एवं मंगली के मकान से चिल्ड्रेन रक्खूल होते हुये मुन्ना लाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.776
	कानपुर नगर	मलिन वस्ती-८३ बजट	न००१०१०१०१०१० कानपुर	महादेव नगर पाट-४ में पूरन के मकान से पप्पू चौधरी के मकान होते हुये अशोक पारावान के मकान तक, सुलभ शीघ्रालय से देशराज के मकान होते हुये छंगा पासवान के मकान तक, छंगा पासवान के मकान से राजू पासवान के मकान होते हुये मुन्ना टेलर तक, मोती लाल के मकान से विजय के मकान होते हुये गंगा प्रसाद के मकान तक इण्टरलाकिंग राडक एवं नाली निर्माण कार्य।	14.128



३०३/२

दस्तावेज़ 2206708
2206710

नगर पालिका केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्रम सं.	जनपद का नाम	अल्पसंखक / गतिनि	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
	कानपुर नगर	मलिन वस्ती-83 बजट	न०ग्नि० कानपुर	जय प्रकाश नगर पार्ट-ए में राम नारायण यादव के मकान रो गेवालाल के मकान तक, रोशन के मकान रो विजय बहादुर शर्मा के मकान तक, अजय शुक्ला के मकान से आजाद सोनकर के मकान तक, बब्लू के मकान से संतोष पेन्टर तक एवं सुलभ शौचालय शाविर से सुधीर के मकान होते हुये अंकित के मकान तक इण्टरलाकिंग राडक एवं नाली निर्माण कार्य।	17.696
	कानपुर नगर	मलिन वस्ती-83 बजट	न०ग्नि० कानपुर	जय प्रकाश नगर पार्ट बी में गरिजद रो भोला से भग्नत के मकान तक, कालीदीन के मकान रो सुभाना के मकान होते हुये राम सकल के मकान तक, सुभाना के मकान रो घसीटे के मकान होते हुये कल्लू थार के मकान तक एवं विनिता सोनकर के मकान से मनीराम के मकान होते हुये छोटे के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.370
	कानपुर नगर	मलिन वस्ती-83 बजट	न०ग्नि० कानपुर	जूहीगढ़ा में प्रमोद अग्रहरि के मकान रो दैजनाथ कुशवाहा के मकान तक एवं पंवम यादव के मकान से सुलभ शौचालय तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.782
	योग				180.863

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंखक बाहुल्य वसितियों तथा मलिन वसितियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण य अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत और परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य लगापा होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में रामबन्धित पत्रावली में रखा जाये।

- उ०ग्नि० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुलम्ब शहरी क्षेत्रों की अल्पसंखक बाहुल्य वसितियों तथा मलिन वसितियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण य अन्य सामान्य सुविधाओं जी रथापना योजना हेतु स्वीकृत और परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य लगापा होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में रामबन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- रथानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- प्रसन्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर संक्षम रहार से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तापस्वात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के साथेय यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनानात्मकता कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में रामिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रसन्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय शिधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई रसीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- प्रसन्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्बद्धित कराते हुये किया जाये।
- परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुदाय रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के रुजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदादाय की सहमति ले ली जाये।
- योजनानात्मकता अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।



३०३/३

दूरभाष - 2206700

2206710

नव घोड़ा बांध, 10 अशोक नगर, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 9— उक्त धनराशि द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनानामांतर कार्य कराया। इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही रामय रो पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की रक्षा पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक जायेगा।
- 11— अपमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा। जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमत्य न होगा। शारान द्वारा अपमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अपमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कायों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शारान द्वारा उक्त परियोजना में आगामन के सापेक्ष प्रथम किरत की 50 प्रतिशत धनराशि अपमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्ट्रेज की धनराशि शोकर शेष धनराशि अपमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्ताप्रक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति राहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अपमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(प्रोल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक(लोल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : गिम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधिकारी अभियन्ता—सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।